



पूर्वोत्तर रेलवे अधिसूचना

कार्यालय
महाप्रबंधक (कार्मिक)
गोरखपुर -273012
दिनांक 03.05.2024

सं० का/254/14/वर्ग चार /कार्मिक/भाग-VIII/(16.2/3%) आँठवा

1. महाप्रबंधक/सतर्कता /गोरखपुर | 2 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण /गोरखपुर |
3. मुख्य कारखाना प्रबंधक /सिगंकार०/गो०छावनी | 4. मुख्य कारखाना प्रबंधक /पुल कारखाना/गोरखपुर |
5. चिकित्सा निदेशक /ल०ना०मि०रेलवे चिकित्सालय, गोरखपुर | 6. उप मुविई/कालोनी, गोरखपुर |
7. अध्यक्ष, आर.आर.वी. / आर.आर.सी /गोरखपुर | 8. सांख्यिकीय अधिकारी, गोरखपुर |
9. प्रधानाचार्य /सी०मे०स्कूल /बालक इन्टर कॉलेज /बालिका इन्टर कॉलेज, गोरखपुर |
10. पुस्तकालय सहायक /केन्द्रीय ग्रंथालय, गोरखपुर | 11. सचिव/रेलवे भर्ती बोर्ड /गोरखपुर |
12. वकाधि /निर्माण/सिग्नल कार० /गोरखपुर | 13. कारखाना कार्मिक अधिकारी /यांत्रिक कार० गोरखपुर |
14. सचिव /प्रमुकाधि एवं मुकाधि /प्रशासन सेल, गोरखपुर | 15. उपमुकाधि/ मुख्यालय/राजपत्रित, गोरखपुर |
16. जेनिटर, प्रमुकाधि कार्यालय /गोरखपुर | 17. सभी मुकार्याधी /कार्याधी, प्रमुकाधि / कार्यालय, गोरखपुर |

विषय :- कार्मिक विभाग मुख्यालय इकाई गोरखपुर के अधीन 16.2/3%कोटे (LDCE) विभागीय पदोन्नति कोटा के अंतर्गत अवर लिपिक लेवल-02 की रिक्ति को चयन के माध्यम से भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग मुख्यालय इकाई गोरखपुर के अधीन लिपिकीय संवर्ग में उच्च ग्रेड की रिक्तियों सहित 16.2/3%कोटे (LDCE) विभागीय पदोन्नति कोटा के अंतर्गत 02 (सामान्य) पदों को चयन के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। इस चयन में सम्मिलित होने हेतु निम्नलिखित शर्तें/नियम होंगे:-

1. कार्मिक विभाग मुख्यालय इकाई गोरखपुर के अधीन लेवल-01 में कार्यरत कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।
2. आवेदक कर्मचारी को अधिसूचना जारी होने की तिथि को सम्बन्धित वरीयता इकाई में 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होनी चाहिए।
3. स्वयं के अनुरोध पर तल्लीय वरीयता पर अपने इकाई में स्थानान्तरण पर आए कर्मचारियों के सम्बन्ध में 02 वर्ष की सेवा का आंकलन रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आर.वी.ई. संख्या 34/2006 के अनुसार की जायेगी।
4. शैक्षिक योग्यता के रूप में 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टर/10+2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अजा/अजजा के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत अंक की शर्त लागू नहीं होगी। दिनांक 17.12.2014 तक कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिसकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल थी तथा लिपिक संवर्ग के 16-2/3 प्रतिशत (LDCE) कोटा के चयन हेतु उस समय पात्र थे, वे भी आवेदन करने के लिए पात्र है, चाहे वे सामान्य, ओबीसी / एसी/एसटी किसी भी श्रेणी में आते हों।
5. लेवल-01 के ऐसे कर्मचारी जो इण्टर/10+2 से उपर के शैक्षिक योग्यता (अर्थात् स्नातक एवं उससे ऊपर) रखते हो, के लिए इण्टर/10+2 में 50 प्रतिशत अंक की शर्त पूर्ण न होने पर भी आवेदन करने हेतु पात्र है।
6. लेवल-01 के ऐसे कर्मचारी जो एमएसीपीएम के तहत उच्च पे लेवल में है, पर नियमित रूप से लेवल-02 में पदोन्नत नहीं है, भी आवेदन करने के लिए पात्र है।

इस चयन हेतु अन्य शर्तें निम्नवत हैं:-

1. रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई (एन.जी.)-2003/ सी.एफ.पी./2 दिनांक 22.09.2003 के अनुसार चयन लिखित परीक्षा एवं सेवा रिकार्ड के आधार पर होगी, जिसमें 85 अंक लिखित परीक्षा तथा 15 अंक सेवा अभिलेख के होंगे।

2. उक्त चयन मेरिट के आधार पर होने के कारण इस चयन में Best among failure की नीति लागू नहीं होगी।
3. प्रश्नपत्र के खण्ड "अ" में 01 से 50 तक प्रश्न हिन्दी भाषा में कार्यसाधक ज्ञान तथा खण्ड "ब" में 51 से 100 तक प्रश्न गणित, सामान्य ज्ञान, मुख्य रूप से रेल सम्बन्धी विषयों तथा उनका रेल सेवा के दौरान परिचालित कार्य सम्बन्धी विषयों पर प्रश्न पूछे जायेंगे।
4. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आर.बी.ई. संख्या-196/2018 में दिए गए प्रावधान के अनुसार लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी जिसमें 100 प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनमें उत्तर ओ.एम.आर. शीट पर देने होंगे। चयन में बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जायेंगे। उत्तर हेतु एक ही प्रकार के काले अथवा नीले स्याही वाले पेन का प्रयोग किया जाए। उत्तर पुस्तिका (ओ. एम. आर. शीट) में किसी प्रकार का पहचान चिन्ह (जैसे-हाईलाईटर, ऊँ इत्यादि) नहीं लगाया जाए।
5. उत्तर पुस्तिका (ओ. एम. आर. शीट) में किसी भी प्रकार की कटिंग व ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगा। कटिंग एवं ओवर राइटिंग किये गये प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
6. इस चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा नहीं होगी। प्रश्नपत्र दो खण्डों (खण्ड-अ एवं खण्ड-ब) में होगा। प्रत्येक खण्ड 42.5 अंकों के होंगे। प्रत्येक खण्ड के लिए पूछे जाने वाले 50 प्रश्नों के अनुपातिक रूप से 42.5 अंकों में परिवर्तित कर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। अभ्यर्थी को दोनों खण्डों में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक खण्ड में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है तथा नामिका में आने के लिए भी समग्र रूप से 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अजा/अजजा कर्मचारियों के लिए प्रत्येक खण्ड में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
7. चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति तिथि से दो वर्ष के अन्दर RBE No 19/2011 के अनुसार हिन्दी में 25 शब्द या अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण अर्हता उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके लिए उन्हें दो वर्ष के अन्दर टंकण गति परीक्षा के लिए तीन अवसर प्रदान किये जायेंगे। टंकण अर्हता प्राप्त करने तक पदोन्नति अनन्तिम मानी जायेगी।
8. टंकण अर्हता हेतु कर्मचारी अपने आवेदन में इंगित कर सकते हैं कि लिखित परीक्षा के क्रम में ही टंकण गति परीक्षा देना चाहते हैं अथवा चयन पश्चात् पदोन्नति हो जाने के उपरान्त टंकण परीक्षा देना चाहते हैं, ताकि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
9. अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण तथा सम्बन्धित नियंत्रक राजपत्रित अधिकारी से बिना अग्रसारित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. कर्मचारी इसे लिखित परीक्षा की तैयारी की सूचना समझें। कभी भी अल्प समय की सूचना पर लिखित परीक्षा सम्पन्न करायी जा सकती है।
11. आवेदन पत्र अपने नियंत्रक अधिकारी/पर्यवेक्षक को जमा करने की अन्तिम तिथि 31.05.2024 होगी। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। नियंत्रक अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को भेजने की अन्तिम तिथि 07.06.2024 होगी।
12. उपरोक्त चयन में आईआरईएम का कोई अन्य प्रावधान या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर / नियम एवं शर्तें जो इस अधिसूचना में अनजाने में छोड़े गये हैं, उन्हें वैध और सक्रिय माना जाएगा।

13. सभी नियंत्रक अधिकारी/पर्यवेक्षकों से अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत लेवल-01 (ग्रेड पे-1800) के कर्मचारियों को इन अधिसूचना को नोट कराना एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न-आवेदन पत्र का प्रोफार्मा

(प्रमोद कुमार भारती)
सकाधि / मुख्यालय
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

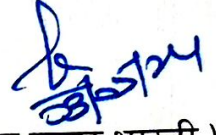
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महामंत्री नगमू, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ।
02. महामंत्री एस.सी. / एस.टी. / ओबीसी, एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ।
03. मुख्य कार्याधी/ गोपनीय, प्रमुकाधि कार्यालय गोरखपुर ।
04. बेवसाइट प्रति ।
05. सूचनापट्ट एवं अन्य प्रति ।


कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

13. सभी नियंत्रक अधिकारी/पर्यवेक्षकों से अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत लेवल-01 (ग्रेड पे-1800) के कर्मचारियों को इन अधिसूचना को नोट कराना एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न-आवेदन पत्र का प्रोफार्मा



(प्रमोद कुमार भारती)
सकाधि / मुख्यालय
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महामंत्री नरमू, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ।
02. महामंत्री एस.सी. / एस.टी. / ओबीसी , एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ।
03. मुख्य कार्याधी/ गोपनीय प्रमुकाधि कार्यालय गोरखपुर ।
04. वेबसाइट प्रति ।
05. सूचनापट्ट एवं अन्य प्रति ।

कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

वार्मिक विभाग मुख्यालय इकाई के लिपिकीय संवर्ग में 16 2/3% कोटे (LDCE) के अंतर्गत अवर लिपिक लेवल-02 की रिक्ति को चयन के माध्यम से भरने के सम्बन्ध में।

1. नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी).....
2. पिता/पति का नाम.....
3. समुदाय/जाति का नाम (सामान्य/अजा/अजजा).....
4. विभाग (लियन).....
5. वरीयता मुख्यालय / गोरखपुर के किस विभाग में है.....
6. स्वयं के अनुरोध पर वर्तमान इकाई में स्थानान्तरण का विवरण / तिथि.....
7. पारस्परिक स्थानांतरण पर वर्तमान इकाई में स्थानान्तरण का विवरण / तिथि.....
8. वर्तमान विभाग में कार्यरत.....
9. नियुक्ति तिथि.....
10. दो वर्ष की नियमित रेल सेवा पूर्ण करने की तिथि.....
11. जन्म तिथि.....
12. टी०एस०प्राप्ति तिथि.....
13. छान परीक्षा की तिथि.....
14. नियमितीकरण तिथि.....
15. MACPS के तहत पे लेवल, यदि हो.....
16. पदनाम एवं लेवल.....
17. भविष्य निधि संख्या.....
18. कर्मचारी/एनपीएम/पी.एफ नंबर.....
19. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न).....
20. टंकण अर्हता सम्बंधित घोषणा.....
21. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (PwBD)(प्रमाण पत्र संलग्न).....
22. मोबाइल संख्या.....

मैं प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना / जानकारी सत्य है। यदि इसमें कोई असत्यता पायी जाती है तो मेरा / मेरे) आवेदन को निरस्त कर दिया जाये।

प्रार्थी

दिनांक-

()

स्थान-

नाम-

पदनाम-

कार्यालय -

नियंत्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित

(अधिकारी का पदर)